अध्याय I: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

द फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रेवेन्कोर लिमिटेड एंड मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

1.1 कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक योगदान

द फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रेवेन्कोर लिमिटेड एंड मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड ने निर्धारित योगदान की दर से अधिक दर पर कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹18.50 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

22 सितम्बर 1997 से प्रभावी, कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) एवं विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम ने भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान की दर वेतन के 8.33 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* से 10 *प्रतिशत*[1] और 12 *प्रतिशत*[2] क्रमानुसार तक संशोधित की। दिनांक 09 अप्रैल 1997 की भारत सरकार (जीओआई) की अधिसूचना[3] के अनुसार निम्नलिखित स्थापनाओं पर, बढ़ी हुई दर प्रयोज्य नहीं थी:

(i) एक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी जिसे ऐसा औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्निमाण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा घोषित किया गया है।

(ii) एक स्थापना, जिसके पास किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत पर संचित हानियां सम्पूर्ण निवल लागत के बराबर या अधिक हो जाती हैं और नकद हानियां भी हुई हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवेंकोर लिमिटेड (एफएसीटी) की संचित हानियां मार्च 2013 में निवल लागत से अधिक हो गई थीं। वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान, एफएसीटी की संचित हानियां निवल लागत से अधिक ही रहीं और कम्पनी को नकदी हानि भी हुई। बीआईएफआर द्वारा रूग्ण औद्योगिक कम्पनी

---

[1] *कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (अधिनियम), 1952 की धारा 6 के अनुसार धारा 6 के पहले प्रावधान के तहत शामिल के अलावा सभी स्थापनाओं के संबंध में कर्मचारी योगदान की निम्न दर (जो कि 10 प्रतिशत है) लागू थी।*

[2] *धारा 6 का पहला प्रावधान कहता है कि केन्द्रीय सरकार ऐसी पूछताछ करने के बाद जैसी उचित हो, कार्यालय राजपत्र में यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि एक स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग के संबंध में कर्मचारियों का योगदान 10 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत होगा।*

[3] *अधिनियम की धारा 6 के पहले प्रावधान द्वारा दी गई शक्तियों के उपयोग में अधिसूचना जारी की गई थी।*

(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) को एक रूग्ण कम्पनी के तौर पर घोषित (अप्रैल 2009) किया गया। 31 मार्च 2017 तक एमएफएल एक रूग्ण कम्पनी बनी रही। इस प्रकार दोनों कम्पनियों को 12 *प्रतिशत* की बजाय रियायती दर पर भविष्य निधि में नियोक्ता योगदान करना था। यह कम्पनियां तथापि, 12 *प्रतिशत* की बढ़ी हुई दर पर योगदान करती रहीं जिसके परिणामस्वरूप 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान एफएसीटी ने ₹12.66 करोड़ और 2010-11 से 2016-17 की अवधि के दौरान एमएफएल ने ₹5.84 करोड़ का अधिक योगदान दिया।

एफएसीटी के प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि बढ़ी हुई दर शांतिप्रिय औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए जारी रखी गई। इसके अतिरिक्त 10 *प्रतिशत* पर भविष्य निधि योगदान को सीमित करना रूग्ण/घाटे की कम्पनियों के लिए एक अच्छा प्रावधान था परन्तु एक अनिवार्य प्रावधान नहीं था। एमएफएल के प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टुबर 2017) कि पीएफ अधिनियम एक रूग्ण कम्पनी को 12 *प्रतिशत* पर योगदान करने से नहीं रोकता और कर्मचारी योगदान की बराबर दर योगदान करने की नीति को ध्यान में रखकर कम्पनी ने सोच समझकर 12 *प्रतिशत* पर योगदान जारी रखने का निर्णय लिया।

कम्पनियों के उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखने की आवश्यकता है कि कर्मचारी योगदान की बढ़ी हुई दर जीओआई की अधिसूचना (अप्रैल 1997) के अनुसार रूग्ण/घाटे वाली स्थापनाओं पर लागू नहीं होती। उक्त अधिसूचना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 6 के पहले प्रावधान द्वारा दी गई शक्तियों के उपयोग में सरकार द्वारा जारी की गई थी। इसलिए, उपरोक्त का अनुसरण किये जाने की आवश्यकता थी।

मामला नवम्बर 2017 में मंत्रालय को रिपोर्ट किया गया; उनका उत्तर अपेक्षित था (फरवरी 2018)।